न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 42/18 वाद पत्र

उनवान

1–केशुलाल पिता नाथू गुजर नि0 मोखमपुरा तह0 जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 01/06/2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोखमपुरा की जमाबन्दी खाता नम्बर 163 मे मुझ वादी सहित अन्य सह खातेदार के हिस्से दर्ज नही है जबकि इस ग्राम की जमाबन्दी संवत् 2057 से 2076 मे मूल रूप से चार सह खातेदार क्रमशः हांसा मांगु डालु हमीर के रूप मे दर्ज थे जिनकी फौतगी के पश्चात विरासत से पृथक–पृथक नामान्तरकरण दर्ज करते समय हिस्से दर्ज नही किये गये। अतः जमाबन्दी मे हिस्से दर्ज कराना फरमावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी उपस्थित है । प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब के अनुसार ग्राम मोखमपुरा खाता संख्या 163 मे सहखातेदारो के हिस्से दर्ज नही होने से उनके हिस्से अनुसार निम्नानुसार हिस्सा भोजा पिता हांसा 5/24 हजारी लाडु पुत्रिया हांसा 1/24, ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 1/3 केसुलाल पिता नाथू 1/12, नाराण पिता छोगा 1/36 नाथू पिता मोती 1/8 ऐजी पत्नि छोगा 1/72 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/12 छगु पिता डालु 1/24 नेनुड़ी पत्नि नेनु 1/24 गुजर दर्ज किया जाना उचित है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वादी के वादी पत्र एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोखमपुरा खाता संख्या 163 मे सहखातेदारो के हिस्से दर्ज नही होने से उनके हिस्से अनुसार निम्नानुसार हिस्सा भोजा पिता हांसा 5/24 हजारी लाडु पुत्रिया हांसा 1/24, ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 1/3 केसुलाल पिता नाथू 1/12, नाराण पिता छोगा 1/36 नाथू पिता मोती 1/8 ऐजी पत्नि छोगा 1/72 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/12 छगु पिता डालु 1/24 नेनुड़ी पत्नि नेनु 1/24 गुजर दर्ज किये जाना न्यायोचित हैं। अतः

आदेश

ग्राम मोखमपुरा खाता संख्या 163 मे सहखातेदारो के हिस्से दर्ज नही होने से उनके हिस्से अनुसार निम्नानुसार हिस्सा भोजा पिता हांसा 5/24 हजारी लाडु पुत्रिया हांसा 1/24, ऊंकार डालु नाथू गोपी नाराण पिता मोती 1/3 केसुलाल पिता नाथू 1/12, नाराण पिता छोगा 1/36

नाथू पिता मोती 1/8 ऐजी पत्नि छोगा 1/72 अमरा पिता हजारी अणछी पुत्री हजारी 1/12 छगु पिता डालु 1/24 नेनुड़ी पत्नि नेनु 1/24 गुजर दर्ज किय जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता हैं। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा